

विधान परिषद के दितीय सत्र, 2024 के प्रथम मंगलवार हेतु निर्धारित, डा0 मान सिंह, मा0 सदस्य
विधान परिषद द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या-1 का उत्तर

प्रश्न

1 (क) क्या कृषि मंत्री बतायेंगे कि प्रदेश के किसानों को सरकार की तरफ से निःशुल्क यूरिया खाद दिये जाने की कोई कार्य-योजना है?

(ख) यदि हां, तो उक्त का सम्पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखेंगे ?

(ग) यदि नहीं, तो क्या कोई कार्य योजना बनवाते हुए प्रदेश के किसानों को निःशुल्क खाद दिलायेंगे ?

(घ) यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(क) निःशुल्क यूरिया खाद दिये जाने की कोई कार्य-योजना नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रदेश सरकार के द्वारा माह जनवरी, 2019 में यूरिया उर्वरक पर रु 680 प्रति मै०टन की दर से लगने वाले अतिरिक्त टैक्स (ए.सी.टी.एन.) को समाप्त कर दिया गया। फलस्वरूप यूरिया उर्वरक की प्रति बैग 45 किग्रा0 का बिक्री मूल्य रु 299.00 से घटकर रु 266.50 हो गयी। इस प्रकार यूरिया उर्वरक के मूल्य में रु 32.50 प्रति 45 किग्रा0 की कमी हुयी है।

वर्ष 2024 में भारत सरकार के द्वारा यूरिया उर्वरक पर रु 1225-1325 प्रति 45 किग्रा0 बैग पर अनुदान दिया जा रहा है। फलस्वरूप वर्तमान में भी कृषकों को रु 266.50 प्रति 45 किग्रा0 की दर यूरिया उपलब्ध हो रही है।

(घ) उपरोक्तानुसार।

सूर्य प्रताप शाही
कृषि मंत्री।